**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 35**

**उत्तर देने की तारीखः 24.11.2014**

**शिक्षा का निम्न स्तर**

**35. श्री हुसैन दलवईः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(**क) क्या शिक्षा का निम्न स्तर जिसकी परिणति शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर खराब विद्यार्जन संबंधी नतीजों में होती है, आज के भारतीय शिक्षा क्षेत्र को पेश आने वाली मुख्य चुनौती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इस चुनौती से कैसे निपटने का विचार रखती है;

(घ) क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

**(**प्रो0 (डॉ0) राम शंकर कठेरिया)

1. **से (ड़)**  **: जी, हां। मंत्रालय ने गुणवत्तापरक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए केंद्र प्रायोजित विभिन्‍न योजनाओं सहित कई कदम उठाए हैं। इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-**

**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) कक्षा-**III, V **और** VIII **में बच्चों के अधिगम उपलब्धि के स्तरों के विस्तृत आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करती है। एनसीईआरटी द्वारा 2002-03 से 2012-13 की अवधि के दौरान इन राष्ट्रीय शिक्षु उपलब्धि सर्वेक्षणों के तीन चक्र पूरे कर लिए गए हैं जिनसे विद्यार्थियों के समग्र अधिगम स्तरों में सुधार का पता लगा है, हालांकि उपलब्धियां कम ही हैं।**

**प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहलों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें शुरूआती प्राथमिक ग्रेडों में भाषा और गणित में बुनियादी अधिगम स्तरों में सुधार लाने हेतु कार्यक्रम, उच्चतर प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और गणित शिक्षण-अधिगम को सशक्त करना और नियमित राज्य स्तरीय अधिगम मूल्यांकन अध्ययनों के साथ सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की पद्धति का कार्यान्वयन करना भी शामिल है।**

**जहां तक राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) स्‍कीम के तहत माध्‍यमिक स्‍कूलों (IX-X) का संबंध है, इसका एक उद्देश्‍य माध्‍यमिक स्‍कूलों में पहुंच मुहैया कराने के साथ ही इनकी गुणवत्‍ता में सुधार करना भी है। आरएमएसए के तहत राज्‍यों को अतिरिक्‍त शिक्षण-कक्ष, विज्ञान, गणित और कम्‍प्‍यूटर प्रयोगशालाएं, कला और शिल्‍प कक्ष, शौचालय ब्‍लॉक, पेयजल प्रावधान और दूरस्‍थ क्षेत्रों में अध्‍यापकों के लिए आवासीय छात्रावासों के लिए वित्‍तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।**

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षिक सुधारों हेतु सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, पाठ्यचर्याओं को नियमित तौर पर अद्यतन करना एवं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) इत्यादि लागू करना जैसे कई उपाय किए हैं। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के मानकों में सुधार करने के लिए "विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय 2010” संबंधी विनियम भी जारी किए हैं । विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने “उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन; विनियम 2012 भी जारी किए हैं जिनमें सभी पात्र उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन अनिवार्य किया गया है।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी करता है जैसे – उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्‍वविद्यालय (यूपीई), उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेज (सीपीई), विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एएसआईएसटी), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एएसआईएचएसएस) बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर) इत्यादि।

**मंत्रालय की जारी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के अलावा, बजट 2014-15 में निम्नलिखित नई पहलों को शामिल किया गया हैः-**

1. **5 आईआईटी और 5 आईआईएम की स्थापना**
2. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्‍ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण मिशन**
3. **वर्चुअल क्‍लासरूम और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) की स्थापना**
4. **राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय का सृजन**
5. **मध्य प्रदेश में मानविकी में लोक नायक जयप्रकाश उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना**
6. **सभी बालिका स्कूलों में शौचालयों और पेय जल का प्रावधान**
7. **स्कूल मूल्यांकन कार्यक्रम**
8. **शिक्षा के मानदंडों का सरलीकरण**

\*\*\*\*\*